राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 4342/2024

नरेन्द्र कुमार सोनी पुत्र नवरंग प्रसाद, उम्र लगभग 57 वर्ष, निवासी मकान नं. 26, बसंत विहार, कोटा (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, जरिये पी.पी.

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए	:	श्री पंकज गुप्ता के साथ श्री हर्षित भट्ट एवं श्री चिन्मय शर्मा
उत्तरदाता (ओं) के लिए	:	श्री विवेक चौधरी, पीपी

जस्टिस अनूप कुमार ढांड

आदेश

07/01/2025

रिपोर्ट योग्य

1. इस याचिका के माध्यम से, विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा द्वारा पारित दिनांक 01.06.2024 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत उन्होंने ट्रैप कार्यवाही के गवाहों के टावर लोकेशन को समन करने

के लिए याचिकाकर्ता द्वारा धारा 91 सीआरपीसी के तहत दायर आवेदन को आंशिक रूप से खारिज कर दिया था।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी मामला झूठा मामला दर्ज किया गया है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वास्तव में 10.03.2023 को कोई ट्रैप कार्यवाही नहीं की गई थी और दो गवाहों, सोनू मीणा और जितेंद्र मीणा की उपस्थिति को ट्रैप कार्यवाही में गलत तरीके से उल्लेखित/शामिल किया गया है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि ये गवाह मौजूद नहीं थे और कथित कार्यवाही के समय भी, उनकी उपस्थिति कथित घटना के स्थान पर दिखाई गई है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के अनुसार, केवल तीन व्यक्ति, अर्थात् याचिकाकर्ता, शिकायतकर्ता का भाई और एक अज्ञात व्यक्ति मौजूद थे, जबकि न तो ट्रैप पार्टी और न ही ये दो उपरोक्त गवाह मौजूद थे। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त तथ्य को सत्यापित करने के लिए, धारा 91 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें इन गवाहों के मोबाइल नंबरों के स्थान को संरक्षित करने की प्रार्थना की गई थी, जिसमें शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी के साथ-साथ ट्रैप पार्टी के अन्य सदस्यों के मोबाइल नंबर भी शामिल हैं।

3. विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन को निचली अदालत ने आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया था और शिकायतकर्ता के

साथ-साथ जांच अधिकारी के मोबाइल लोकेशन को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था, लेकिन उपरोक्त दो गवाहों, अर्थात् सोनू मीणा और जितेंद्र मीणा और ट्रैप पार्टी के अन्य सदस्यों के मोबाइल लोकेशन को सुरक्षित रखने के संबंध में प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया है। अधिवक्ता ने दलील दी कि निचली अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा इन दो गवाहों, अर्थात् सोनू मीणा और जितेंद्र मीणा के मोबाइल लोकेशन को सुरक्षित रखने के संबंध में की गई प्रार्थना को स्वीकार न करके एक गलती की है।

4. अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि इस माननीय न्यायालय तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रमशः कपिल *बनाम राज्य राजस्थान जरिये लोक अभियोजक)*, रिपोर्टेड 2021 (3) सि.अल.आर (राज.) 844 तथा सुरेश कुमार *बनाम भारत संघ*, रिपोर्टेड 2014 एस सी सी ऑनलाइन एस सी 1833 में पारित निर्णयों के आलोक में, संबंधित मोबाइल कंपनी को यह निर्देश प्रदान किया जाए कि वह सोनू मीणा एवं जितेन्द्र मीणा के मोबाइल फोनों की लोकेशन से संबंधित विवरण सुरक्षित/संवर्धित कर रखे।

5. *इसके विपरीत,* विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि निचली अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा धारा 91 सीआरपीसी के तहत दायर आवेदन को पहले ही आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है और शिकायतकर्ता तथा जाँच अधिकारी के कॉल विवरण और मोबाइल लोकेशन सुरक्षित रखने का

आदेश दिया है। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने ट्रैप पक्ष के अन्य गवाहों के साथ-साथ उपरोक्त दोनों गवाहों के मोबाइल लोकेशन सुरक्षित रखने के संबंध में याचिकाकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार न करके कोई गलती नहीं की है, इसलिए, इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय का हस्तक्षेप उचित है।

6. बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुना और उन पर विचार किया तथा रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

7. याचिकाकर्ता द्वारा धारा 91 सीआरपीसी के तहत प्रस्तुत आवेदन की सामग्री के अनुसार, ट्रैप पार्टी द्वारा 10.03.2023 को अल्प समय में, अर्थात दोपहर 1:40 बजे से अपराह्न 3:18 बजे तक कोई ट्रैप कार्यवाही नहीं की गई। उक्त आवेदन में आरोप लगाया गया है कि जांच एजेंसी द्वारा शिकायतकर्ता के कहने पर याचिकाकर्ता को इस मामले में झूठा फंसाने के लिए फर्जी दस्तावेज और साक्ष्य तैयार किए गए हैं, इसीलिए, जांच एजेंसी द्वारा की गई ट्रैप कार्यवाही की सत्यता के संबंध में सच्चाई का पता लगाने के लिए शिकायतकर्ता, जांच अधिकारी, गवाहों, अर्थात् सोनू मीणा और जितेंद्र मीणा और ट्रैप पार्टी के अन्य सदस्यों के मोबाइल फोन के लोकेशन को संरक्षित करने का अनुरोध किया गया था।

8. याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है और शिकायतकर्ता के साथ-साथ जांच अधिकारी के मोबाइल लोकेशन को

संरक्षित करने का निर्देश जारी किया गया है, लेकिन अन्य गवाहों अर्थात सोनू मीणा और जितेंद्र मीणा के संबंध में याचिकाकर्ता की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया है।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरेश कुमार *बनाम भारत संघ* , रिपोर्टेड 2014 एस सी सी ऑनलाइन एस सी 1833 में पारित निर्णय के आलोक में, सोनू मीणा एवं जितेन्द्र मीणा के मोबाइल फोनों की टावर लोकेशन को सुरक्षित रखे जाने संबंधी प्रार्थना तक ही अपनी मांग सीमित रखी है।

10. यह सत्य उजागर करने के लिए कि दिनांक 10.03.2023 को ट्रैप कार्यवाही के समय ये दोनों गवाह मौके पर मौजूद थे या नहीं, याचिकाकर्ता द्वारा धारा 91 सीआरपीसी के तहत उनके मोबाइल फोन की टावर लोकेशन प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। घटना-स्थल पर इन गवाहों के मोबाइल फोनों की टावर लोकेशन, विचारण के दौरान वास्तविक तथ्यों को उजागर करने हेतु याचिकाकर्ता के लिए एक संभावित एवं महत्वपूर्ण साधन है।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सुरेश कुमार** (सुप्रा) के मामले में समान स्थिति पर निर्णय देते हुए पैरा 8 में निम्नानुसार निर्णय दिया है:-

"8. हमारा एकमात्र सरोकार इस बात से है कि क्या अपीलकर्ता द्वारा मांगे गए कॉल विवरण उसे इस आधार पर देने से इनकार किया जा सकता है कि ऐसे विवरण अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि ये विवरण अन्य समान मामलों और व्यक्तियों से संबंधित उनकी गतिविधियों को उजागर कर सकते हैं। हालाँकि, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि कॉल विवरण केवल बस स्टैंड के पास याशिका पैलेस होटल से अपीलकर्ता की कथित गिरफ्तारी के समय संबंधित अधिकारियों के सटीक स्थान का निर्धारण करने के उद्देश्य से मांगे जा रहे हैं। सुश्री मखीजा ने स्पष्ट रूप से कहा कि कॉल विवरण में निहित कोई भी अन्य जानकारी अपीलकर्ता के लिए उपयोगी नहीं होगी और अपीलकर्ता ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण पर ज़ोर नहीं देगा। हमारी राय में, यह मामला सरल हो जाता है क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा मांगे गए कॉल विवरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के अनुसार मांगे जा सकते हैं, लेकिन ऐसे विवरण केवल संबंधित अधिकारियों के स्थान का निर्धारण करने तक ही प्रासंगिक हैं, इसलिए उनमें संबंधित टेलीफोन नंबरों से प्राप्त या किए गए ऐसे कॉलों से संबंधित अन्य जानकारी शामिल करना आवश्यक नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि कॉल किए गए मोबाइल नंबर या कॉल करने वालों के विवरण यदि संबंधित कंपनियों से तलब की गई जानकारी को गुप्त रखा जाता है, तो इससे प्रतिवादी को ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के स्रोतों के खुलासे के संबंध में किसी भी संभावित पूर्वाग्रह से सुरक्षा मिलेगी। हमारी राय में, न्याय के हित में पर्याप्त रूप से तभी पूर्ति होगी जब हम ट्रायल कोर्ट को संबंधित कंपनियों से टाटा डोकोमो कंपनी के सिम टेलीफोन नंबर 9039520407 और 7415593902 और एयरटेल कंपनी के सिम नंबर 9165077714

> के संबंध में 24.02.2013 को शाम 4.30 से 8.30 बजे के बीच की कॉल डिटेल तलब करने का निर्देश दें। हम आगे निर्देश देते हैं कि कॉल करने वाले नंबर और उक्त मोबाइल फोन से कॉल किए गए नंबरों को कंपनियों द्वारा ऐसे विवरण प्रस्तुत करते समय गुप्त रखा जाएगा।"

12. यह भी माना गया है कि उपरोक्त मामले **सुरेश कुमार (सुप्रा)** में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि:-

> "यह कि आपराधिक मुकदमों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड स्वीकार्य साक्ष्य हैं, विवाद का विषय नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराएँ 65 ए और 65 बी ऐसे रिकॉर्ड को स्वीकार्य बनाती हैं, बशर्ते कि उनमें निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 7 65 बी(4) के अनुसार एक प्रमाण पत्र शामिल है। इस सीमा तक, अपीलकर्ता को अपने बचाव में जो भी प्रासंगिक और स्वीकार्य हो, उसे बुलाने का पूरा अधिकार है, जिसमें गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों के स्थान का पता लगाने के लिए प्रासंगिक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है। बहरहाल, हम इस स्तर पर उस मुद्दे पर पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होना चाहते जो अंततः विचारण न्यायालय के विचाराधीन होगा।"

13. कॉल विवरण और टावर लोकेशन विवरण को सुरक्षित रखना और प्राप्त करना आवश्यक होगा, अन्यथा ये हमेशा के लिए खो जाएंगे। अभियुक्त द्वारा अपने बचाव के समर्थन में दस्तावेज प्राप्त करने के लिए धारा 91 सीआरपीसी के प्रावधानों को लागू करने के अधिकार को संवैधानिक न्यायालयों द्वारा मान्यता दी गई है। धारा 91 सीआरपीसी को लागू करने के पीछे विधायी मंशा यह सुनिश्चित

करना है कि जांच, पूछताछ, मुकदमे या अन्य कार्यवाहियों के दौरान सही तथ्यों को उजागर करने में मुद्दे से संबंधित कोई भी ठोस सामग्री या सबूत अनदेखा न रह जाए। निस्संदेह धारा 91 सीआरपीसी के तहत कॉल विवरण/टावर लोकेशन विवरण को सुरक्षित रखने और प्रस्तुत करने के लिए उचित निर्देश पारित करने से पुलिस अधिकारियों की निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा लेकिन स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच/मुकदमा सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त का अधिकार पुलिस अधिकारियों की निजता के अधिकार पर हावी रहेगा। उक्त कॉल विवरण प्रस्तुत करने में कुछ हद तक गोपनीयता का उल्लंघन किया जा सकता है, क्योंकि इससे विद्वान ट्रायल कोर्ट को सच्चाई का पता लगाने और न्याय प्रदान करने में सुविधा होगी, जो सभी हितधारकों के लिए उचित है।

14. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पेश न करके अभियुक्त को पर्याप्त अवसर से वंचित करना, जो कि आपराधिक मुकदमे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-ए और 65-बी के तहत स्वीकार्य है, न्याय की विफलता के समान होगा। सीआरपीसी की धारा 91 यह सुनिश्चित करके मामले का निष्पक्ष और न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित करने में मदद करती है कि संबंधित साक्ष्य न्यायालय को उपलब्ध कराए जाएं ताकि सूचित निर्णय लिया जा सके और एक न्यायसंगत और निष्पक्ष परिणाम पर पहुंचा जा सके। यह न्यायालय को महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य

सुरक्षित करने में सक्षम बनाता है जो व्यक्तियों या संगठन के कब्जे में हो सकते हैं और महत्वपूर्ण दस्तावेजों के विनाश, छेड़छाड़ या नुकसान को रोकने में मदद करते हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता बनी रहती है। सीआरपीसी की धारा 91 के तहत शक्ति का प्रयोग ऐसे साक्ष्य पेश करने के लिए किया जाना चाहिए, जो न्याय की खोज में सत्य की खोज में न्यायालय की सहायता करेगा। हालांकि, अभियुक्त की व्यक्तिगत इच्छा से पुलिस अधिकारियों के निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। कॉल विवरण/टावर लोकेशन प्रस्तुत करने के लिए कोई भी आदेश पारित करने से पहले, अभियुक्त को ऐसे साक्ष्य की आवश्यकता और वांछनीयता साबित करनी होगी, जो अभियुक्त के अपराध या निर्दोषता को स्थापित करने के लिए प्रासंगिक होगा।

15. चूंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष सुनवाई का अभिन्न अंग हैं, इसलिए अभियुक्त को बचाव साबित करने में सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्य या प्रभावी और पर्याप्त सुनवाई से वंचित करना स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई से वंचित करने के समान होगा।

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सुरेश कुमार (सुप्रा)** के मामले में प्रतिपादित विधि के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका और साथ ही उनके द्वारा धारा 91 सीआरपीसी के तहत प्रस्तुत आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। निचली अदालत को गवाह जितेंद्र मीणा के मोबाइल फोन नंबर

7734044190 (एयरटेल) और गवाह सोनू मीणा के मोबाइल फोन नंबर 7851024844 (जियो) की टावर लोकेशन 10.03.2023 को दोपहर 1:40 बजे से रात 10:00 बजे तक की अवधि के लिए तलब करने का निर्देश दिया जाता है। इस अदालत ने आगे निर्देश दिया कि कंपनियों द्वारा उक्त मोबाइल फोन से कॉल करने वाले नंबरों और कॉल करने वाले नंबरों को ऐसे विवरण प्रस्तुत करते समय ब्लैकआउट कर दिया जाएगा।

17. उपर्युक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, याचिका का निपटारा किया जाता है।

18. स्थगन आवेदन और अन्य सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है।

19. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(अनूप कुमार ढांड), जे

आयुष शर्मा/94

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

Advocate